राजस्थान सरकार
आयुक्तालय, कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर
Block-4, RKS Sankul, JLN Road, Jaipur- 302015, Rajasthan
Website: http://hte.rajasthan.gov.in/dept/dce/ e-mail: jdadmn.cce@gmail.com Ph.: 0141-2702247

क्रमांक : एफ1( )प्रशा./आकाशि/2020/2596 दिनांकः 20.11.2020

समस्त प्राचार्य,
राजकीय महाविद्यालय/कन्या महाविद्यालय/विधि महाविद्यालय,
राजस्थान संगीत संस्थान/राजस्थान स्कूल ऑफ आर्टस।

आदेश

1. प्रायः यह देखने में आया है कि सह/सहायक आचार्य/कार्मिक, बिना सक्षम अधिकारी की पूर्वानुमति के मुख्यालय छोडते है एवं अवकाश पर रहते है। भविष्य में बिना सक्षम स्वीकृति के इस प्रकार का प्रकरण संज्ञान में आता है अथवा लाया जाता है तो संबंधित सह/सहायक आचार्य/कार्मिक के अतिरिक्त उस महाविद्यालय के प्राचार्य को भी उत्तरदायी मानते हुए नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।
2. यह भी देखने में आया है कि कतिपय सह/सहायक आचार्य अनावश्यक रूप से कर्त्तव्य अवकाश का लाभ लेते हैं। निर्देशित किया जाता है कि अति आवश्यक एवं प्रासंगिक होने पर ही सह/सहायक आचार्य का शुक्रवार के दिन ही कर्त्तव्य अवकाश स्वीकृत किया जायेगा।
3. किसी कार्मिक/अधिकारी के द्वारा सी.सी.एल. आवेदन अथवा किसी भी प्रकार की परिवेदना/प्रतिवेदन प्राचार्य के माध्यम से ही भेजी जाये अन्यथा इस प्रकार के आवेदन/परिवेदना/प्रतिवेदन पर विचार नही किया जायेगा।

(संदेश नायक)
आयुक्त

क्रमांक : एफ1( )प्रशा./आकाशि/2020/2596 दिनांकः 20.11.2020

प्रतिलिपिः–

1. निजी सचिव, आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक (एचआरडी) कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
4. समस्त सहायक निदेशक (क्षेत्रीय कार्यालय) कॉलेज शिक्षा।
5. वेब प्रभारी, मेल हेतु।

अतिरिक्त आयुक्त
कॉलेज शिक्षा